न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी अर्चना बुगालिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 36 / 2021 दायर दिनांक 10.12.2021

उनवान

1. भूमिधारी तहसीलदार कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।

—प्रार्थी।

बनाम

1. नारू पुत्र किशना जाति अहीर आयु वयस्क निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

—अप्रार्थीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0

निर्णय दिनांकः 12.12.2023

—:निर्णयः—

पेरोकार सरकार तहसीलदार कपासन ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट के इस आशय का प्राप्त हुआ कि प्रार्थी श्री देवीलाल पिता रामचन्द्र जाति अहीर, शंकरलाल पिता रूपा जाति अहीर निवासी मुंगाना ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि —

यह कि ग्राम मुंगाना में हाईवे से सट्मा बस स्टेण्ड पटवारी स्थल पर गांव में जाने का कदीमाना रास्ता मौके पर आज भी स्थित है। उक्त रास्ते के साबीक रेवेन्यु पर आज भी स्थित है। उक्त रास्ते के साबीक रेवेन्यू रेकार्ड के आराजी नम्बर 1065 भू—प्रबन्ध पूर्व थे उक्त रास्ता साबीक रेवेन्यू रेकार्ड, नक्शा ट्रेस में एवं हाल रेवेन्यू रेकार्ड में अंकित हैं और उक्त रास्ते पर आवागमन भी सुचारू हैं।

यह कि कुछ बरसों पूर्व हल्के का भू—प्रबन्ध का काम हुआ जिसमे भू—प्रबन्ध कर्मचारियो ने मौका रास्ता साबीक रेवेन्यू [illegible] नाजायज लाभ पहुचाने की गरज से उक्त रास्ते की 0.10 हैक्टयर भूमि हाल आराजी नम्बर 1472 रकबा 0.22 हैक्टयर में मनमाने ढंग से खिलाफ कानून [illegible] हाल आराजी संख्या जो 1472 साबीक आराजी संख्या 432 रकबा 0.12 बिस्वा [illegible] थी उसका रकबा नये आराजी संख्या नये आराजी नम्बर 1472 कायम कर 0.12 हैक्टयर के बजाय 0.22 हैक्टयर अंकित कर दिया जबकि 12 बिस्वा के नये हैक्टयर नाप 0.12 हैक्टयर ही होना चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.02 18:04:14 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

यह कि हाल आराजी संख्या 1472 रकबा 0.22 हैक्टयर जो बताई है जो किस्म पाल है। यह मौके पर 0.12 हैक्टयर ही है। इसमें सटमा 0.10 हैक्ट0 सरकारी रास्ता भूमि है जो हाल आराजी संख्या 1461 का हिस्सा है, और सरकारी है, इस प्रकार सरकारी रास्ते की भूमि 0.10 हैक्टयर हाल आराजी संख्या 1472 के खातेदार चान्दी, नारू, माधवलाल, श्रीलाल पिता किशना जी अहीर के नाम दर्ज कर दी जो गलत है। उक्त सरकारी रास्ते का 0.10 हैक्टयर रकबा हाल नक्शा ट्रेस में रास्ते के रूप में दर्ज है। जिसका कोई आराजी नम्बर अंकित नही किया गया इसलिये हाल आराजी संख्या 1472 रकबा 0.22 हैक्टयर में से रास्ते का उक्त आराजी रकबा 0.10 हैक्टयर साबीक व हाल रेवेन्यू रेकार्ड में नक्शा अनुसार दुरूस्त कर उक्त 0.10 हैक्टयर रकबा आराजी नम्बर 1472 रकबा 0.22 हैक्ट0 में से रकबा 0.10 हैक्ट0 कम करते हुये रास्ते का नया नम्बर जो अंकित नहीं है, नया अंकित रेवेन्यु रेकार्ड में अंकित करना जरूरी है। यह दुरूस्ती संरक्षण राजकीय भूमि हीत ग्रामवासीयान व सुखाधिकार उपयोग उपभोग रास्ता जनहित के लिये आवश्यक है वरना गलत अंकन के आधार बना दर्ज हाल रेवेन्यु रेकार्ड खातेदार मौके से रास्ता भूमि को हड़प रास्ता बन्द करने व रूपान्तरीत कराने को अग्रसर होगे जिससे सरकार व आमजन को भारी नुकसान होगा जिसकी पूर्ति मूल्यों में नही होगी।

यह कि रूपान्तरित समस्त तथ्यों की साबिक व हाल रेवेन्यू रेकार्ड नक्शा ट्रेस व मौके की स्थिति का मिलान करते हुए तथ्यात्मक रिपोर्ट भी हल्के के पटवारी से लिखाना जरूरी है, जिसके आधार पर रास्ते की सरकारी भूमि गलती से खातेदार के नाम दर्ज कर दी। जिससे पुनः सरकारी दर्ज रास्ता रेवेन्यु रेकार्ड किया जाना सम्भव है।

अन्त में प्रार्थना की कि प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमा मौके व रेवेन्यु रेकार्ड नक्शा ट्रेस साबीक हाल के आधार पर तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवा हाल आराजी संख्या 1472 रकबा 0.22 हैक्टयर जिसका साबीक रेवेन्यू रेकार्ड अनुसार हाल रकबा 0.12 हैक्टयर होना चाहिये में शुमार 0.10 हैक्टयर सरकारी रास्ते की भूमि को अलग करते हुए अलग नम्बर अंकित कर सरकारी बिलानाम रास्ता दर्ज किया जाना फरमावे।

उक्त प्रार्थना पत्र की जांच कर यह तथ्य पाये गये है कि गत बन्दोबस्त के आराजी नम्बर 432 रकबा 12 बिस्वा से मिलान क्षेत्रफल अनुसार नवीन आराजी नम्बर 1472 रकबा 0.22 हैक्ट0 बने है। बडा हुआ रकबा 0.09 हैक्ट0 भूमि गत आराजी नम्बर 1065 का हिस्सा था व पूर्व में बिलानाम रास्ता दर्ज था व गत से अब तक मौके पर रास्ते के उपयोग में आ रहा है। बडा हुआ रकबा 0.09 हैक्ट0 वर्तमान में खातेदारी मृत्तक जवारू एवं किशना पुत्र लोबा अहीर के नाम दर्ज [illegible] पाल अंकित कर दी है। मृत्तक जवारू एवं किशना के वारिसान श्रीलाल, माधव[illegible] नारू पुत्र किशना, चान्दी पुत्री किशना एवं मांगीबाई पत्नी [illegible] निवासी मुंगाना के नाम वर्तमान में दर्ज है। अतः गत बन्दोबस्त की स्थिति अनुसार ब[illegible] हुआ रकबा 0.09 हैक्ट0 की किस्म पाल के बजाय बिलानाम रास्ता संशोधन किया जाने बाबत् शुद्धिकरण जमाबन्दी व नक्शों में किये जाने बाबत मय अनुशंषा के प्रकरण प्रेषित किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.02 18:04:14 IST
Reason: Self Attested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर आराजी संख्या 1472 में अंकित खातेदारों को जरिये सम्मन तलब किया। बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से दिनांक 29.08.2023 को अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया। की गयी बहस पर मनन किया। तहसीलदार कपासन की राजस्व अनुशंषा स्वीकार की जाकर आराजी संख्या 1472 रकबा 0.22 हैक्ट0 में से 0.09 हैक्ट0 गत बन्दोबस्त की स्थिति अनुसार किस्म पाल के बजाय बिलानाम रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार कपासन को पृथक से तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(अर्चना बुगालिया)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन

Signature Not Verified

Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.02 18:04:14 IST
Reason: SelfAttested